बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (पूर्वी चम्पारण) 02–89/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–219 दिनांक–18.09.2024 द्वारा श्री सौरभ कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पताही, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर आपके द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–निर्वाची पदाधिकारी (पं०), पताही के रूप में कार्यरत रहते हुए पंचायत आम निर्वाचन, 2021–पताही प्रखण्ड से संबंधित पचायत निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराया गया था। उक्त के क्रम में पताही प्रखण्ड अन्तर्गत बारा शंकर पंचायत के सरपंच पद के मतगणना में उनके द्वारा अनियमितता बरती गई जिसमें श्रीमती रंजना सिंह, ग्राम पंचायत–बारा शंकर, प्रखण्ड–पताही द्वारा सरपंच पद के मतगणना में मतदान केन्द्र सं०–91 पर अभ्यार्थियों को प्राप्त मत को ही मतदान केन्द्र सं0–79 पर अंकित कर परिणाम घोषित करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. आरोप पत्र में अंकित आरोपों को विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–251(15), दिनांक–25.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1650 दिनांक–07.10.2025 से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को "चेतावनी" देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सौरभ कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पताही, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति अंचल अधिकारी, बेन, नालन्दा को **"चेतावनी"** देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ई–मेल/
निबंधित

ज्ञापांक:–15/आरोप (पूर्वी चम्पारण) 02–89/2024–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............................

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण एवं नालन्दा/श्री सौरभ कुमार, अंचल अधिकारी, बेन, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–15/आरोप (पूर्वी चम्पारण) 02–89/2024–37.................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–06/01/2026

प्रतिलिपि:–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव–सह–निदेशक, चकबंदी/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री सौरभ कुमार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

05/01/26

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\2025_jiten\Dand (Order)_25 Sankalp\Saurabh Kr.CO(Patahi_purvi champran)_ चेतावनी.doc